<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 7/16/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 27 सितंबर, 2025

<u>जांच की शुरूआत की अधिसूचना</u>

मामला संख्याः -एडी (एसएसआर)-09/2025

विषय: <u>मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सामान्य ब्यूटेनॉल" या "एन-ब्यूटाइल अल्कोहल" के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरुआत।</u>

1. फा. सं. 7/16/2025 -डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा प्रशुल्क और (पाटित सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर साउथ अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सामान्य ब्यूटेनॉल' जिसे 'एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' (जिसे आगे "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद या "एनबीए" भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही वापस न ले लिया जाए, ऐसे लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

क. <u>पिछली जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 20 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा गहन जांच के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया था कि विचाराधीन उत्पाद भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पाटित किया जा रहा था और इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही थी। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 13/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 अप्रैल 2016 द्वारा पाटनरोधी उपाय लागू किए।

4. प्राधिकारी ने 31 अगस्त 2020 को पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। गहन जांच के बाद, प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. संख्या 7/29/2020-डीजीटीआर दिनांक 30 मार्च 2021 द्वारा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या 21/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा सिफारिश स्वीकार की।

5. उपरोक्त शुल्क वर्तमान में 12 अप्रैल 2026 तक लागू हैं। अतः, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करने के लिए, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने हेतु वर्तमान आवेदन-पत्र दायर किया जा रहा है।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में परिभाषित उत्पाद के समान ही है, जो इस प्रकार है:

"विचाराधीन उत्पाद सामान्य ब्यूटेनॉल है। सामान्य ब्यूटेनॉल एक प्राथमिक ऐल्कोहॉल है जिसकी संरचना 4-कार्बन और आणविक सूत्र सी4एच9ओएच है। सामान्य ब्यूटेनॉल यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिन से प्राप्त अम्ल-उपचार योग्य लैकर और बेकिंग फ़िनिश के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है। एन-ब्यूटेनॉल का एक बड़ा भाग कोटिंग उद्योगों और मुद्रण स्याही में विलायक के रूप में उपयोग के लिए व्युत्पन्नों में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य ब्यूटेनॉल का उपयोग दवाओं और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में निष्कर्षक, पॉलिश और क्लीनर में योजक, कपड़ा उद्योग में विलेय, बर्फ हटाने वाले तरल पदार्थों में योजक, गैसोलीन में एंटी-आइसिंग योजक, सेल्यूलोज़ नाइट्रेट के लिए ह्यूमेक्टेंट, ग्लाइकॉल ईथर और फ्लोटेशन एड्स (ब्यूटाइल ज़ैंथेट) के उत्पादन में फीडस्टॉक और ब्यूटाइल मोनो कार्बोक्सिलेट्स, ब्यूटाइल एसीटेट, ब्यूटाइल ब्यूटाइरेट के उत्पादन के लिए आरंभिक सामग्री के रूप में भी किया जाता है।"

विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्षक 2905 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद 29051300 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. चूँकि वर्तमान आवेदन-पत्र निर्णायक समीक्षा के लिए है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहेगा जैसा कि पिछले जांच परिणाम में परिभाषित किया गया है।

ग. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों और संबद्ध देशों से निर्यातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान आवेदन-पत्र पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए है। समान वस्तु के मुद्दे की जाँच प्राधिकारी द्वारा

मूल जांच में भी की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

9. यह आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक अन्य उत्पादक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) भी है। आवेदक ने दावा किया है कि पिछली जाँच में, आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक था। 2021 में बीपीसीएल ने भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू किया। अन्य उत्पादक ने न तो आवेदन-पत्र का विरोध किया है और न ही समर्थन किया है।

10. इसके मद्देनजर, और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। आवेदन-पत्र नियम 5(3) के अनुसार आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

11. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं (जिन्हें यहां आगे "संबंध देश" कहा गया है)। यूरोपीय संघ और सिंगापुर के विरुद्ध जांच शुरू नहीं की जा रही है क्योंकि इन दोनों देशों से संबंधित वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया गया है और पाटन और चोट के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है।

च. जाँच की अवधि

12. इस जांच के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) है। क्षति जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2021 - 31मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जाँच की अवधि है।

छ. <u>कथित पाटन का आधार</u>

i. सामान्य मूल्य

13. धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, कानून घरेलू कीमतों, तीसरे देश के निर्यात मूल्यों, या उत्पादन की लागत और खर्च और मुनाफे के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। आवेदक ने बिक्री के लिए उचित वृद्धि, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन के साथ उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। शुरुआत के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

ii. निर्यात कीमत

14. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों में सूचित की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर निर्धारित गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और अंतर्देशीय माल ढुलाई व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन जारी रहा है।

ज. <u>क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना और कारणात्मक संपर्क</u>

16. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही निरंतर क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और यह स्थापित किया है कि विषय देशों से आयात किए जाने से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है। आवेदकों ने दावा किया है कि चोट की अवधि के दौरान भारत में घरेलू उत्पादन और मांग दोनों के संबंध में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण ने

कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोक दिया है जिससे पूरी लागत वसूल नहीं हो पा रही है और उचित आय दर प्राप्त नहीं हो पा रही है। आवेदक को वित्तीय हानियां, नकारात्मक नकद लाभ, नकारात्मक ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूँजी पर नकारात्मक आय हो रही है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान जाँच में और अधिक क्षति की संभावना है और उसने अधिशेष क्षमता, निर्यातोन्मुखता, तीसरे देश द्वारा लगाए गए उपायों और भारत की कीमत आकर्षता के बारे में सूचना प्रदान की है।

17. जांच करने पर उपर्युक्त सूचना प्रथम दृष्टया पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में डंपिंग के जारी रहने/पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को नुकसान की संभावना दर्शाती है।

झ. <u>निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत</u>

18. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना प्रमाणित होते हुए और नियमावली के नियम 23(आईबी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों अर्थात् मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने और यह जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं। प्राधिकरण यूरोपीय संघ और सिंगापुर के खिलाफ जांच को छोड़ने का इरादा रखता है क्योंकि आयात की मात्रा न्यूनतम से नीचे है।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

19. निर्णायक समीक्षा जाँच में अधिसूचना संख्या 13/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 अप्रैल 2016 और अधिसूचना संख्या 21/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 12 अप्रैल 2021 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाएगी। उपरोक्त शुल्क वर्तमान में 12 अप्रैल 2026 तक लागू हैं।

20. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

21. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते ds2-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@nic.in पर भेजे जाने चाहिए और उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और आंकड़ा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।

22. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा-निर्धारित रूप में और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अपने अनुरोध निर्धारित प्रपत्र और तरीके से नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे सूचना और जाँच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पते ds2-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@nic.in पर भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति

adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियमावली की व्याख्या के संबंध में सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाना चाहिए जिस तिथि को उसे प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को परिचालित किया गया था। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।

29. ये अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय रूपांतर में वे सभी सूचना शामिल होनी चाहिए जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया गया हो, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया हो, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ यह उचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाना चाहिए

या जहाँ (अनुक्रमण संभव न हो), वहाँ रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए, और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

32. अगोपनीय सार में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस बात का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

33. हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

34. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार, बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण कथन के, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ढ. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि सभी अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल से भेजें। अनुरोधों/उत्तर/सूचना के अगोपनीय रूपांतर को परिचालित करने में विफलता से कोई हितबद्ध पक्षकार असहयोगी माना जा सकता है।

ण. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर अथवा इस जांच संबंधी अधिसूचना

में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा नहीं देता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वह उपयुक्त मानें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी